कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

कमांक एफ ( )एफ.सी.ए. / मुवसंभ / 2025–26 / 1158 दिनांक 9/4/25

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA)
राजस्थान जयपुर।

विषय–Diversion of 189.2515 ha. of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A and B for mining and generation of employment and generation of district in the state of rajasthan.(FP/RJ/min/149012/2021)

संदर्भ– उप वन संरक्षक, भरतपुर का पत्रांक 3152 दिनांक 03.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत उक्त आलोच्च प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, भरतपुर द्वारा अपने संदर्भित पत्र से आक्षेपों की बिन्दुबार पालना रिपोर्ट तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है, जो निम्नानुसार प्रेषित हैः–

S.N.	Observations	Compliance
1	11 किलोमीटर के सेफ्टीजोन के डिमार्केशन के विरुद्ध 1 किलोमीटर में सेफ्टीजोन डिमार्केशन हो पाया है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर की रिपोर्ट अनुसार ब्लॉक बंशी पहाडपुर दिनांक 05.07.2024 अनुसार **5.5 किमी** सेफ्टीजोन डिमार्केशन यूजर एजेंसी द्वारा करवाया गया था तथा ब्लॉक बंशीपहाडपुर 'ए' में खनिज विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.01.2025 अनुसार **3.3 किमी** सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य यूजर एजेंसी द्वारा करवाया गया था। यूजर एजेंसी द्वारा उक्त रिपोर्ट अनुसार कुल 8.8 किमी सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य यूजर एजेंसी द्वारा करवाया गया था। यूजर एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि शेष **2.2 किमी** सेफ्टीजोन डिमार्केशन कार्य मौके की स्थिति अनुसार करवाया जाना सम्भव नहीं है (संलग्न खनिज विभाग की मौका रिपोर्ट)
2	वनसीमा पर 158 आरसीसी पिलर्स स्थापित किये जाने थे, 8 पिलर्स स्थापित हुए है।	उप वन संरक्षक, भरतपुर की रिपोर्ट अनुसार कार्यालय के पत्रांक 4500 दिनांक 04.06.2025 से प्रेषित रिपोर्ट अनुसार यूजर एजेंसी द्वारा डायवर्टेड व वन सीमा पर 158 आरसीसी पिलर्स का निर्माण करवाया जा चुका है। (संलग्न खनिज विभाग की मौका रिपोर्ट मय पेन ड्राईव)

अतः उप वन संरक्षक, भरतपुर से प्राप्त पत्र एवं संलग्न पत्रादि श्रीमान को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार मय पेन ड्राईव।

भवदीय

(पी० कथिरवेल)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

क्रमांक एफ ( )एफ.सी.ए. / मुवसंभ / 2025–26 / 1159 दिनांक 9/4/25

प्रतिलिपि–उप वन संरक्षक, भरतपुर को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, रूपवास जिला भरतपुर

क्रमांक :—सखअ / रूप / भरत / रि.शा. / 2025 / दिनांक :—

श्रीमान उपवन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय :— Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajajsthan in pahadpur Block A & B for mining and generation of employment in the state of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021).

प्रसंग :— आपका पत्र दिनांक एफ.( )एफसीए / उवसं / 2023 / 236 दिनांक 11.01.2024 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 3237—3238 दिनांक 20.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 3237—3238 दिनांक 20.12.2023 के बिन्दु संख्या 2 व 7 हेतु पालना रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः—

क.सं.	observations	compliance
2	Point No. B(vi) (c) current status of safety zone demarcation (d) status of plantation in safety zone	डायवर्टेड क्षेत्र में बी ब्लॉक की सेफ्टी जोन का डिमार्केशन कर फैन्सिंग पूर्ण करवा दी गयी है। शेष ए ब्लॉक की 5.5 किलोमीटर लम्बी बाउण्ड्री का सेफटी जोन में से 3.3 किलोमीटर की सेफ्टी जोन का डिमार्केशन कर फैन्सिंग पूर्ण करवा दी गयी है। तथा 2.2 किलोमीटर की वायर फिनिसिंग मौका स्थिति अनुसार तैयार किया जाना सम्भव नही है। (मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।) फैन्सिंग कार्य एवं वृक्षारोपण हेतु डीएमएफटी मद से प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश राजकाज रेफरेन्स न0 8767534 दिनांक 09.07.2024 से जारी की जा चुकी है। (फोटो ग्राफ संलग्न है)
7	Point No. B(XVI)- Status o boundary (is RCC pillars) of diverted forest land	डायवर्टेड क्षेत्र में निर्धारित साईज के आरसीसी पिलर पर संपूर्ण विवरण अंकित कर स्थापित कर दिये गये है। (फोटो ग्राफ संलग्न है तथा अनारक्षित भूमि की बाउण्ड्री का ड्रोन सर्वे से लिया गया विडियो की पैन ड्राईव संलग्न है)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कराया जाने का श्रम करावे।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

क्रमांक :— समसंख्यक / दिनांक :—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा — जोन, कोटा।
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर वृत, भरतपुर।
5. श्रीमान खनि अभियन्ता, भरतपुर।

Signature valid
Digitally signed by Sanjay Kumar Sharma
Designation : Assistant Mining Engineer
Date: 2025.03.25 15:57:20 IST
Reason: Approved

सहायक खनि अभियन्ता,
रूपवास जिला भरतपुर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ( ) FCA/उवसं/2023/4500

दिनांक : 5/6/24

श्रीमान,

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषयः—Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in Banshi paharpur Block A & B for Mining and generation of employment in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, बयाना द्वारा मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया गया है कि दिनांक 31.05.2024 तक कुल 158 पिल्लर का निर्माण करवाया गया है जिसमें वन खण्ड बंशी पहाडपुर "ब" के 1 से 83 पिलर पर कलर करवाकर जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स व पिलर नं. अंकित कर दिये गये हैं जबकि वन खण्ड "अ" के 1 से 75 पिलर पर कलर नहीं करवाया है और न ही पिलर नं. व जी.पी.एस. कॉर्डिनेट्स अंकित किये गये है तथा लगभग 4.5 किमी safety Zone के एक साईड में 2 तार लगाकर फेन्सिंग की गयी है एवं लगभग 500 मीटर 5 तार की एक साईड में फेंसिग की गई है। निम्नानुसार 158 पिलर्स का सत्यापन कर लिया गया है।

नम वन खण्ड	लगाये जाने वाले पिलर	लगाये जा चुके है एवं सत्यापित किये जा चुके है
बंशी पहाडपुर अ	1 से 75	1 से 75
बंशी पहाडपुर ब	1 से 83	1 से 83

(जी0के0 वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांकः एफ( ) FCA/उवसं/2023/ 4501-04 दिनांकः

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर।
3. खनि अभियन्ता, भरतपुर।
4. सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, रूपवास, भरतपुर

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 22/03/2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनीकी कार्मिक के निकट ग्राम- पंशीपहाड़पुर, तहसील- रूपवास, जिला- भरतपुर में वन भूमि से डायवर्टेड क्षेत्र (ब्लॉक A) में 5.5 Km लम्बाई की बाउन्ड्री पर Safety Zone तैयार करवाने वास्ते क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसमें वर्तमान मौका स्थिति अनुसार डायवर्टेड क्षेत्र की बाउन्ड्री पर निम्न कारणों से करीब 2.2 Km लम्बाई की परिधि पर तार फेन्सिंग कर Safety Zone तैयार करना सम्भव नहीं है।

1. डायवर्टेड भूमि की बाउन्ड्री पर कई जगहों पर पुराने खनन के करीब 30-50 फीट गहराई के गड्डे बने हुये हैं जिसमें तार फेन्सिंग (तारबन्दी) सम्भव नहीं है।

2. डायवर्टेड भूमि बाउन्ड्री पर कई जगहों पर पुराने ओवर बर्डन के ऊबड़-खाबड़ ढेर बने हुये हैं, मलबे में विभिन्न परिमाप के बड़े-2 बोल्डर/ ब्लाक्स पड़े हैं जिन्हें हटाना सम्भव नहीं है।

3. डायवर्टेड भूमि की ~~भूमि~~ बाउन्ड्री के पास कई जगहों पर खातेदारी भूमि होने से सीमा स्तम्भों को क्षतिग्रस्त किया गया है व Safety Zone को बनाने का स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा विरोध किया गया है जिसमें विवाद की स्थिति है साथ ही खातेदारी भूमि व डायवर्टेड भूमि की सीमा का भी कुछ जगह विवाद होने से ग्राम वासियों द्वारा फेन्सिंग/ तारबन्दी नहीं होने दी जा रही है।

अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में पुराने खनन पिट, मलबा, ओवर बर्डन के ब्लाक व स्थानीय ग्राम वासियों से विवाद के कारण लगभग 2.2 km की वायर फेन्सिंग सम्भव नहीं है।

(वीरेन्द्र कुमार)
MF-II

(संजय कुमार शर्मा)
सहायक खनि अभियन्ता
रूपवास

DM
08/07/24

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता रूपवास भरतपुर (राज.)

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 5/07/2024 को कार्यालय पत्र क्रमांक स.ख.अ./रूप/भरत/विविध/2024-25/राजकाज रेफरेन्स नम्बर 6838506 दिनांक 30/04/2024 की पालना में निकट ग्राम बंशीपहाड़पुर क्षेत्र तहसील रूपवास जिला भरतपुर के ब्लॉक वनक्षेत्र A व B के डायवर्टेड भूमि पर डायवर्जन की शर्तों के अनुसार सीमास्तम्भ (साईज 4x2x2 फीट) एवं वायर फेन्सिंग के निर्माण करवाने के सम्बन्ध में बंशीपहाड़पुर क्षेत्र मे प्रभावशील खनन पट्टों के पट्टेधारियों द्वारा वनखण्ड B मे डायवर्टेड भूमि की सीमा पर निर्धारित साईज के 83 सीमा स्तम्भ एवं 5 कांटेदार तारो से करीब 5.5 km की फेन्सिंग बनाकर सेफ्टी जोन तैयार करवाया जाना था जिसके क्रम में बनाये गये सेफ्टी जोन को वनपाल नाका बंशीपहाड़पुर सर्वेयर वन विभाग को दिखाया गया। वनखण्ड ब्लॉक A व B मे से वन खण्ड B मे 83 सीमा स्तम्भ बनाये जाकर पिलर्स 18 से 32 व 65 से 77 तथा 5 से 8 इस प्रकार लगभग 5.1 km कांटेदार तारो व वैकल्पिक सैण्डस्टोन ब्लॉको से फेन्सिंग कर सेफ्टी जोन तैयार कर दिया है। इस कई स्थानो पर खनन पट्टो मे आने वाले रास्तो व उबड़-खाबड़ चट्टान होने से safety zone फेन्सिंग नही हो सकी है तथा पिलर्स संख्या 28 से 30 के मध्य ढलान होने से एक तरफ फेन्सिंग कर सेफ्टी जोन तैयार किया गया है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

600
8/7/2024

[signature] 5/7/24 [signature] (वन विभाग) [signature] (वैभव कुमार) [signature] (ए.ए.) 05/07/2024

मौका निरीक्षण रिपोर्ट

13/01/25

आज दिनांक 09-01-2025 को ~~ब्लाक~~ ब्लॉक बेरी-पहाड़पुर-C में प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा पर ~~पंचा~~ पंचायत समिति रूपवास एवं यूजर एजेन्सी सहा० खनि० अभियन्ता, रूपवास द्वारा तैयार करवाये जा रहे Safety zone (तार फेन्सिंग) का मौका निरीक्षण हेतु खनिज विभाग एवं वन-विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त Safety zone (तार फेन्सिंग) का कार्य अनुमानित लगभग 3300 मी० की लम्बाई में 4 फीट ऊंचाई में लोहे के एंगल को सीमेन्ट कंक्रीट में जमीन में गाड़कर 5 तार (3 लम्बे 2 तार क्रोस) खींचते हुए किया गया है। उक्त Safety zone प्रत्यावर्तित वनभूमि के अन्दर बाहरी सीमा पर सही जगह पर ही बनवाया गया है। उक्त ~~कार्य~~ तार फेन्सिंग कार्य पंचायत समिति, रूपवास की देख-रेख में किया गया है। उक्त कार्य की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पंचायत समिति, रूपवास से भी लिया जाना उचित होगा।

उपस्थित सभी हाजिरीन के हस्ताक्षर करवाये गये।

SME

MF II

Gaurav Bansal
R.F

Ro. Bayana

1614
13-1-25

TECNO
SPARK